भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1989

(जिसका उत्तर मंगलवार 10 मार्च, 2026/19 फाल्गुन, 1947(शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाना"

1989 **श्रीमती किरण चौधरी:**
श्रीमती रेखा शर्मा:
श्री नरहरी अमीन:
डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी:
श्री एस. सेल्वागनबेथी:
श्री रायगा कृष्णैया:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जीएसटी अनुपालन और विवरणी दाखिल करने की प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किए गए सुधारों, जिसमें विवरणी संरचना में बदलाव, आंकड़ों का स्वचालित पूर्व-भरण और मिलान तंत्र में किए गए सुधार शामिल हैं, की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और दाखिल किए गए रिटर्न की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय क्या हैं;

(ग) इन सुधारों ने विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा, अनुपालन स्तर, विवादों के उत्पन्न होने और व्यापार सुगमता को किस प्रकार प्रभावित किया है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने जीएसटी परिषद के परामर्श से, जीएसटी अनुपालन और विवरणी दाखिल करने संबंधी सुधारों की प्रभावशीलता का कोई आकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तरः

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ):

i. करदाताओं की सुविधा के लिए एसएमएस के माध्यम से शून्य जीएसटी मासिक विवरणी दाखिल करने हेतु सुविधा का सृजन किया गया है।

ii. इसके अतिरिक्त जीएसटी के तहत ई-इनवॉइसिंग को 1 अगस्त, 2023 से लागू कर दिया गया है। वर्तमान में, 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले करदाता ई-इनवॉइसिंग के माध्यम से इनवॉइस जारी करते हैं, जो विक्रेता के जीएसटीआर-1 में स्वतः भर जाते हैं। इससे उन्हें अपना जीएसटीआर-1 भरने और फिर उसी तरह जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में सुविधा होती है।

iii. जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी का क्रमबद्ध दाखिल करना: 1 अक्तूबर, 2022 से किसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1 दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि विक्रेता द्वारा जीएसटीआर-1 में घोषित इनवॉइस विवरण का उपयोग जीएसटीआर-3बी में दाखिल किए जाने वाले उसकी विवरणी में कर देयता को स्वतः भरने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग क्रेता द्वारा जीएसटीआर-3बी में दाखिल किए जाने वाली विवरणी में प्राप्त किए जाने वाले आईटीसी को स्वतः भरने के लिए भी किया जाता है।

iv. रिटर्न में कर देयता वाले डेटा के स्वतः भरने की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए, अगस्त 2024 में जीएसटीआर-1ए में एक वैकल्पिक सुविधा आरंभ की गई, जिससे करदाताओं को जीएसटीआर-3बी दाखिल करने से पहले जीएसटीआर-1 डेटा में संशोधन करने की अनुमति मिलती है। इससे जीएसटीआर-3बी में चुकाई गई कर देयता, करदाता द्वारा अपने जीएसटीआर-1 में घोषित कर देयता के अनुरूप हो जाती है।

v. रिटर्न में आईटीसी डेटा के स्वतः भरने की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने के लिए, 2024 के अंत में जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएमएस) सुविधा शुरू की गई है। यह प्राप्तकर्ताओं को आपूर्तिकर्ता करदाताओं द्वारा सहेजे या दाखिल किए गए इनवॉइस को स्वीकार, अस्वीकार या लंबित के रूप में चिह्नित करने की अनुमति देता है। इससे करदाताओं को अपने जीएसटीआर-1 में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए इनवॉइस का पुनः सत्यापन और मिलान करने में मदद मिलती है, जिससे आईटीसी दावा प्रक्रिया सुव्यवस्थित और सुदृढ़ होती है।

vi. करदाताओं को समय पर विवरणी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे:
• नियमित करदाता के मामले में लगातार 6 महीने और कंपोजिशन करदाता के मामले में 2 कर अवधियों तक रिटर्न दाखिल न करने पर पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है।

• नियमित करदाताओं द्वारा लगातार दो कर अवधियों तक जीएसटीआर-3बी दाखिल न करने पर ई-वे बिल जनरेशन स्वतः ब्लॉक हो जाता है।

vii. विवरणी दाखिल करने की आवृत्ति को कम करने के लिए, छोटे करदाताओं के लिए विभिन्न स्कीमें उपलब्ध हैं, जैसे:
• तिमाही विवरणी दाखिल करने और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) की स्कीम शुरू की गई है, जिसमें 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे करदाताओं के पास मासिक रिटर्न के बजाय तिमाही आधार पर रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है।

• इसी प्रकार, 1.5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले (विशेष श्रेणी के राज्यों में 75 लाख रुपये तक) अत्यंत छोटे करदाता कुछ शर्तों के अधीन, कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत कर भुगतान के साथ-साथ वार्षिक आधार पर विवरणी दाखिल करना होता है।

viii. जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में संचयी वृद्धि दर्ज की गई है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि विवरणी को क्रमिक रूप से दाखिल करना अनिवार्य करने से करदाताओं के अनुपालन पर उल्लेखनीय और सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
